तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.1.2020	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे बताया कि वादी संख्या 3 लिछमा व प्रतिवादी संख्या 2 हस्तु का स्वर्गवास हो चुका है। पत्रावली साक्ष्य वादी की स्टेज में है जिसमें वादी जोधाराम का शपथ पत्र पेश पहले कर दिया था। पत्रावली जब पेशी में आई तक दिनांक 14.11.2019 को सूचना के मुताबिक वादी संख्या 3 लिछमा के आगे स्वर्गीय शब्द अंकित करने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था। लिछमा के दो वारिसान जोधाराम व राजूराम बतौर वादीगण पहले से ही वाद में आवश्यक पक्षकार है। जिस दिन स्वर्गीय शब्द अंकित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था उस दिन लिछमा की 2 पुत्रियों का अंकन सहवन से रह गया था। दिनांक 14.11.2019 को ही प्रतिवादी संख्या 2 हस्तु के निधन की सूचना प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दी गई इसलिये दिनांक 06.12.2019 को हस्तु के वारिसान को कायम मुकाम बनाये का प्रार्थना पत्र सूचना की दिनांक से आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व वादी संख्या 3 लिछमा के कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश कर सूचना की दिनांक से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश कर दिये गये है। इसलिये वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी संख्या 3 लिछमा व प्रतिवादी संख्या 2 हस्तु के कायम मुकाम बनाने की अनुमति दी जावें। सीपीसी के प्रावधानों के मुताबिक आदेश 22 नियम 10 में पक्षकार की मृत्यु की सूचना करने के लिये प्लीडर का कर्तव्य बताया गया है व ऐसी सूचना देते ही वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किये गये है। अपने कथनों के समर्थन में सीपीसी पृष्ठ संख्या 257 प्रस्तुत कर उनके द्वारा कथन किया गया कि वादी संख्या 3 के अन्य वारिसान पहले से ही रिकार्ड पर है अतः कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करें। तत्पश्चात अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि वाद पत्र में लिछमा वादी सं. 3 है एवं उसकी मृत्यु की जानकारी अधिवक्ता वादी पक्ष को नहीं हुई हो स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि वादियां के 02 पुत्र वाद पत्र में वादी सं. 1 व 2 के रूप में पक्षकार है, उन्हे भी वादियां की मृत्यु की जानकारी नहीं हो, स्वीकार योग्य नहीं है। मियाद अधिनियम 1963 के उपबन्ध 120 के तहत किसी मृत वादी अथवा प्रतिवादी के वारिसान को वादी अथवा प्रतिवादी की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की समयावधि में कायम मुकाम बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये। यदि इस समयावधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाता है तो आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के तहत वाद कार्यवाही स्वतः ही एबेट हो जाती है। एबेट हुई कार्यवाही को निरस्त कराने के लिये मियाद अधिनियम 1963 के उपबन्ध 121 के तहत 60 दिवस में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना चाहिये अर्थात मृत वादी की मृत्यु से कुल 150 दिवस की समयावधि में कायम मुकाम प्रस्तुत हो जाना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में वादियां लिछमा की मृत्यु को 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है इसलिये वादीगण का दावा स्वतः ही एबेट हो चुका है। वादी पक्ष की ओर से एबेटमैन्ट निरस्त करवाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है व ना ही मियाद से छूट पाने के लिये मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मृत वादियां लिछमा के 2 पुत्रियां ओर है जिन्हे भी वादी संख्या 1 व 2 के समान ही वादियां लिछमा की सम्पत्ति में हिस्सा व हक कानूनन हासिल है। वादी पक्ष अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 10क का हवाला दिया गया है वह वादिया की मृत्यु के संबन्ध में लागू नहीं होता है क्योंकि आदेश 22 नियम 10क मात्र प्रतिवादी के कायम मुकाम की हद तक लागू होते है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2019 (i) राजस्थान पृष्ठ संख्या 317 व DNJ 2012 (3) राजस्थान पृष्ठ संख्या 1715 पेश किये गये है।	

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादियां लिछमा के 2 पुत्र जोधाराम व राजूराम पहले से ही बतौर वादी पक्षकार है इसलिये वादी का दावा जोधाराम व राजूराम की हद तक एबेट नहीं होता है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है उनके तथ्य भिन्न है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी संख्या 3 लिछमा की मृत्यु होने का तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन दिनांक 14.11.2019 को वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना पत्रावली से साबित है जिसमें लिछमा की मृत्यु किस दिनांक को हुई वादी ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी पक्ष ने यह अंकित किया है कि लिछमा की मृत्यु को 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है व दौराने बहस भी अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा इस बिन्दु को इंगित किया गया परन्तु इसके खण्डन में वादी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि लिछमा की मृत्यु को 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। अधिवक्ता वादी का यह कथन कि सूचना की दिनांक से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है, कतई स्वीकार्य नहीं है क्यों कि वादी संख्या 1 व 2 वादी संख्या 3 लिछमा के पुत्र है व उन्हे लिछमा की मृत्यु की जानकारी नहीं हो, मानने योग्य नहीं है। वादी पक्ष द्वारा 150 दिवस की समयावधि तक कायम मुकाम पेश करने या मियाद अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है जो पत्रावली से साबित है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से भी हिदायत स्पष्ट है कि जिस पक्ष की ओर से कार्यवाही की जाती हो, वह पक्ष वादी की मृत्यु का ज्ञान नहीं होने के बिन्दु को आधार नहीं बना सकता एवं वादी की मृत्यु से 150 दिवस की समयावधि में कायम मुकाम हेतु व मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दावा स्वतः ही एबेट हो जाता है, उसके लिये पृथक से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2019 (i) व DNJ 2012 (3) यहां पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी की मृत्यु दिनांक से 150 दिवस की समयावधि में कायम मुकाम और मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर वाद वादी स्वतः ही एबेट होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को मेंरे द्वारा टंकित करवा सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दायरा में नम्बर से कम होकर फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हों।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2020.02.10 11:26:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: